

3410/रा.प.डि. 14-09-2015

(10)

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

सख्या- 1283/XVIII(1)/2015-02(13)/2014

देहरादून: दिनांक: 07 अगस्त, 2015

अधिसूचना

342/रा.प.डि. 15

आयुक्त एवं अधिकारी  
राजस्व परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकार गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला चम्पावत में "मंच" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "मंच" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील चम्पावत की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित उप तहसील मंच में सम्मिलित तहसील चम्पावत के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1.	दुबड़जैनल	दुबड़जैनल
2.	रेशंग	
3.	खार	
4.	बोयल	
5.	गुरखोली	
6.	दूलाकोट	
7.	रमैला	
8.	तामली	
9.	बचकोट	बिरगोला
10.	नाग	
11.	पोलप	
12.	रायल	
13.	रियांसीबमनगांव	रियांसीबमनगांव
14.	तरकुली	
15.	बरकुम	
16.	अमोड़ा	
17.	आमनी	
18.	हियांली	

W

- 19. भण्डार
- 20. सौराई
- 21. हरतोला
- 22. सिमियाउरी
- 23. निनोडी
- 24. गायल
- 25. कारी
- 26. भूलागांव
- 27. विरगोला
- 28. बकौडा
- 29. मोस्टा
- 30. अकेरी
- 31. मंच
- 32. ग्वानी
- 33. मटकांडा
- 34. स्यूतोला
- 35. खड़गिरी
- 36. ल्वाकी
- 37. हरम
- 38. रुईयां
- 39. आमगूठ
- 40. तल्ला कफल्टा
- 41. मल्ला कफल्टा
- 42. कन्यूडा
- 43. आमखोला
- 44. गुरनागूठ
- 45. पाली
- 46. नीड़

सिमियाउरी

बकौडा

रुईयां

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)  
सचिव

संख्या- / XVIII(1)/2015 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)  
सचिव